यातायात जागरुकता अभियान और शैक्षणिक संस्थाओं का उत्तरदायित्व

डॉ. अनीश कुमार
जी.एम.एन. कॉलेज, अम्बाला छावनी

शोध सारांश :

यातायात जागरूकता अभियान और शैक्षणिक संस्थाओं का उत्तरदायित्व शैक्षणिक संस्थाएं अर्थात प्राथमिक महाविद्यालय से विश्वविद्यालय जागरूकता एवं चेतना के महनीय धरातल होते हैंः अक्षर ज्ञान से लेकर विज्ञान की प्रत्येक शाखा का ज्ञान हमें इन्हीं संस्थाओं से होता है, यातायात से संबंधित सभी नियम, संकेत, बचाव, दंड का ज्ञान करवाने में इन संस्थाओं की भूमिका अनिर्वचनीय हैः विद्यालय, महाविद्यालय विश्वविद्यालय ही यातायात संबंधी सैद्धान्तिकी से निकलकर व्यवहारिक स्तर पर युवाओं को जागृत कर सकता है द्य शैक्षणिक संस्थाओं की दीवारों पर यातायात संबंधी संकेतों को लगाया जा सकता है द्यस्थानीय सरकारों द्वारा वर्ष में दो बार आसपास के स्कूलों एवं महाविद्यालयों में ट्रैफिक नियम के प्रशिक्षुओं को भेजा जा सकता है जो विद्यार्थियों को यातायात संबंधित जानकारियां ही नहीं अपितु दुर्घटनाग्रस्त होने पर अपेक्षित कार्रवाई की भी जानकारी दें नुक्कड नाटक एक सुलभ विधा है जिसे देख कर समाज बहुत कुछ ग्रहण है, वरिष्ठ विद्यार्थियों द्वारा इसका मंचन किया जा सकता है, ताकि कनिष्ठ विद्यार्थी नवीन जानकारियों से एवं नियम तोड़ने के दंड विधानओं से परिचित हो, प्राइमरी पाठशाला से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के पार्कों में ट्रैफिक लाइट को लगाया जा सकता है, बच्चों के दाखिले के समय प्रत्येक विद्यार्थी को एक छोटी पुस्तक संक्षेपिका के रूप में बच्चों को वितरित की जा सकती है जिसमे वाहन चलाने की उम्र, नियम आदि जानकारियां उपलब्ध हो।

शैक्षणिक संस्थाएं अर्थात् प्राइमरी पाठशाला से विश्वविद्यालय जागरुकता एवं चेतना के महनीय धरातल होते है। अक्षर–ज्ञान से लेकर ज्ञान–विज्ञान की विविध शाखाओं की प्रकृति का बोध हमें इन्हीं संस्थाओं से ग्रहण होता है। यातायात से संबंधित नियम, संकेत, दंड, बचाव प्रावधान आदि का ज्ञान करवाने में इन संस्थाओं की भूमिका शब्दातीत है। ये शिक्षण संस्थान ही यातायात संबंधित सैद्धान्तिकी को व्यवहारिक धरातल प्रदान कर सकते हैं। यातायात

ISBN: 978-81-955611-9-3

जागरुकता अभियान में निम्नलिखित बिंदु समीचीन हैः

1. राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में प्रशिक्षुओं द्वारा प्रशिक्षण : यातायात का विषय व्यापक भी है और गंभीर भी। राज्य सरकारें इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका प्रणीत कर सकती है। राज्य सरकारें अपने अधीन आते शैक्षणिक संस्थाओं में यातायात संबंधी नियमावली की जानकारी देने के लिए सुयोग्य प्रशिक्षुओं की नियुक्ति कर सकती है। ऐसे प्रशिक्षुओं का दायित्व होगा कि वे प्रत्येक सत्र के आरम्भ में विद्यार्थियों के साथ मुखातिब होंगे। वे ट्रैफिक संबंधी संकेतों, नियम आदि की जानकारी के साथ उन्हें बेसिक फर्स्ट एंड ट्रेनिंग भी दें। लर्निंग लाइसेंस एवं पक्का लाइसेंस बनाने की उम्र एवं विधि, नियमों के उल्लंघन की सजा, लाइसेंस रद्द होने के कारण, प्राथमिक उपचार, दुपहिया एवं चौपहिया वाहन चलाने की नीति आदि का वर्णन प्रशिक्षु अपने प्रेरक उद्बोधन में करें।

2) नुक्कड़ नाटक एवं विभिन्न राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताएं : प्रतियोगिता की भावना विद्यार्थियों को ऊजर्स्वित एवं विषय की सूक्ष्मता के प्रति आकर्षित करती है। हमारे शिक्षण–संस्थान विभिन्न प्रकार के नाटकों एवं राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताओं को रूप देकर यातायात संबंधित चेतना को ग्राह्य बना सकते है। नुक्कड़ नाटक आधुनिक युग की सहज विधा है जिसका मंचन कहीं भी और किसी भी परिधान में किया जा सकता है। शैक्षणिक संस्थाओं को चाहिए कि वे इन नाटकों के माध्यम से ट्रैफिक नियम के साथ–साथ दुर्घटना में आहत एवं चोटिल हुए व्यक्ति के लिए हमारी जिम्मेदारियों के वर्णन को स्पष्ट करें। नुक्कड़ नाटक के साथ–साथ अनेक राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा किया जाना चाहिए। विद्यार्थी पोस्टर बनाकर, नारा लिखकर, चित्र बनाकर, कार्टून बनाकर, पेंटिंग द्वारा ट्रैफिक नियमों को व्यक्त कर सकता है। प्राइमरी पाठशाला से लेकर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जहां इस तरह के आयोजन करवा सकते हैं। महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयी स्तर पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जा सकता है जिसमें विद्यार्थी उन आंकड़ों एवं तथ्यों को प्रस्तुत करें जिसमें व्यक्ति को असावधानी के कारण हुई क्षति एवं सावधानी के कारण हुए बचाव का ब्यौरा हो। नुक्कड़ नाटक एवं इस तरह की प्रतियोगिताएं युवाओं को सचेत एवं सजग करने का वजनदार माध्यम है।

3) शैक्षणिक संस्थाओं के प्रवेश अथवा भीतरी दीवार द्वार पर ट्रैफिक चिह्न : किसी भी शैक्षणिक संस्थाओं के प्रवेश द्वार ज्ञान की प्रभा को उद्भासित करते है। विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के प्रवेश द्वार पर फ्लेक्स के रूप में इन ट्रैफिक चिह्न को लगाया जा सकता है ताकि विद्यार्थी प्रवेश एवं निकास के समय इन चिह्नों को अपने मानस में उतार सकें, इस तरह के फ्लेक्सों पर ट्रैफिक चिह्नों के साथ–साथ यातायात संबंधी नियमावली भी दी जा सकती है। उस फ्लेक्स पर क्व ंदक क्वदश्ज करके कुछ चित्रों को लगाया जा सकता है।

4) यातायात संबंधी छोटी संक्षेपिका का वितरण : विद्यालय स्तर पर इस तरह की

ISBN: 978-81-955611-9-3

पुस्तिकाओं का वितरण विद्यार्थियों में ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरुकता का अनुशंसनीय कदम हो सकता है। स्कूलों को चाहिए दाखिले के समय जहां वे पाठ्यक्रम संबंधी पुस्तकों का वितरण करते है वहीं एक छोटी पुस्तिका, जिसका रंगीन कवर हो, जो देखने में आकर्षित हो, जिसमें छोटे कार्टून कलाकार जैसे छोटा भीम, नींजा, डोरी मॉन आदि को ट्रैफिक नियमों का अनुपालन करते हुए दिखाई दें। वहीं खलनायक कार्ट्रन पात्रों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर उन्हें ट्रैफिक पुलिस द्वारा दंडित करते हुए दिखाया जा सकता है। इस तरह की छोटी संक्षेपिका के द्वारा विद्यार्थी बिना किसी बाधा के नियमों को सीख सकते हैं। प्राइमरी स्तर पर लागू की गई ऐसी योजनाओं का प्रतिफलन हितकर होता है।

5) नॉडल ऑफिसर की नियुक्ति : शैक्षणिक संस्थाओं के उच्च पदाधिकारियों को चाहिए कि वे अपनी संस्थाओं में एक नॉडल ऑफिसर की नियुक्ति करें, जो समय–समय पर विद्यार्थियों को ट्रैफिक पार्क ले जाएं जहाँ वे ट्रैफिक पुलिस की सहायता से उन्हें जेबरा क्रासिंग, ट्रैफिक लाईट का पालन, दुपहिया एवं चौपहिया वाहन की गति, साईकिल ट्रेक, गाड़ियों के इंडिकेटर, गाड़ी चलाने वक्त संयम, आदि के बारे में बताएं एवं एक संक्षिप्त रिपोर्ट संबंधित विभाग को भेजे। इस तरह की गतिविधियों में विद्यार्थी भी बड़े उत्साह से भाग लेते है। पाठ्यक्रम को पढ़ाने के साथ–साथ इस तरह का एकदिवसीय परिभ्रमण विद्यार्थियों को ऊर्जा से भरता है और वे बड़े जुनून के साथ इस तरह के कार्यों में भाग लेते हैं।

6) सेमिनार, संगोष्ठी, वेबिनार : सेमिनार, संगोष्ठी एवं वेबिनार प्रत्येक आयु के व्यक्ति के लिए आवश्यक है। शिक्षण संस्थाएं अपने सभागार कक्ष 5 में इस तरह के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सेमिनार एवं संगोष्ठियों का आयोजन कर सकती हैं। क्योंकि यातायात संबंधी सावधानी सभी के लिए जरूरी है तो इस हेतु विषय विशेषज्ञ को आमंत्रित कर इस विषय पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है। विषय विशेषज्ञ सुलभ पद्धति से यथा Power Point Presentation के द्वारा अपनी बात रख सकता है। वह अपने व्याख्यान में ट्रैफिक संबंधी सभी नियमावलियों का संस्पर्श करे। वे सेमिनार के बाद वह विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं, प्रश्नों का उचित समाधान करें। इस तरह के सेमिनार अथवा चर्चा–परिचर्चा से ज्ञान के कई रहस्य खुलते हैं इसलिए शैक्षणिक संस्थाएं समय–समय पर अपनी फैक्लटी एवं विद्यार्थियों के लिए इस तरह का प्रावधान कर सकती है।

7) स्कूलों में खेल मैदान के साथ–साथ कुछ क्षेत्र में ट्रैफिक पार्क का निर्माण : किसी भी विद्यार्थी के समाजीकरण में परिवार एवं स्कूल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्कूलों की शैक्षणिक संस्थाएं स्कूल में खेल मैदान के साथ कुछ सीमित क्षेत्र में ट्रैफिक पार्क का निर्माण कर सकती है जिसमें ट्रैफिक लाईट, जेबरा क्रॉसिंग, साईकलिंग ट्रैक, आदि को बनाया जा सकता है। सप्ताह के शनिवार के दिन विद्यार्थियों को उस पार्क में ले जाकर यातायात के नियमों पर चर्चा की जा सकती है और उन्होंने इस बारे में जागरुक किया

ISBN: 978-81-955611-9-3

जा सकता है कि ओवर–टेक के दुष्परिणाम भयंकर होते है। वाहन चलाने से पूर्व गाड़ी की जांच आवश्यक है। टायर में हवा का कितना प्रतिशत होना चाहिए, टायर पेंचर की स्थिति में क्या करना चाहिए, फॉग लाईट का इस्तेमाल कब करना, कितनी वर्षा में वाइपर की गति कितनी हो, धुंध के समय की प्रक्रियाएं, थ्पतेज ।पक ज्ञपज की अनिवार्यता आदि का ज्ञान एवं आवश्यकता विद्यार्थियों के साथ साझी की जानी चाहिए। इन छोटी–छोटी बातों से ही सड़कों पर निरन्तर होने वाली घटनाओं को रोका जा सकता। संक्षेप रूप में यह कहा जा सकता है यातायात के नियमों की अनुपालना अति आवश्यक है। प्रत्येक शिक्षण–संस्थान का यह दायित्व है कि वे अपने विद्यार्थियों को व्यवाहारिक स्तर पर इस अभियान के प्रति जागरुक करें एवं इस अभियान के साथ जोड़े।

ISBN: 978-81-955611-9-3